



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 1149 दि. 26/10/16

**आदेश**

**विषय:-कृषि कनेक्शन के भार का सघन जाँच अभियान।**

कृषि उपभोक्ताओं द्वारा बढे हुये भार के निरंतर उपयोग से निगम के विद्युत तंत्र पर अनावश्यक भार पडता है व ट्रांसफार्मरों के जलने के प्रकरणों में भी बढोतरी होती है एवं निगम को राजस्व की हानि होती है। इस दिशा में निगम द्वारा आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा/प्रे. 815 दि. 07.09.2016 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-728) द्वारा कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढे हुये भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू की गयी थी जिसके अंतर्गत इस योजना की अवधि के दौरान (1 जुलाई 2016 से 30 नवम्बर 2016) कृषि कनेक्शनों का विद्युत भार बढा हुआ पाये जाने पर कोई पैनल्टी राशि नही ली जाकर केवल धरोहर राशि जमा करवाकर बढे हुये भार को नियमित किये जाने का प्रावधान है। किन्तु यह पाया है कि उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना के प्रति कोई रुचि ना दिखाकर उनके द्वारा इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

इस संबंध में निगम द्वारा कृषि कनेक्शनों के बढे हुये भार को नियमित करने के उद्देश्य से सघन जाँच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत सभी क्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि 20 नवम्बर 2016 तक अपने अधीनस्थ क्षेत्र के शत-प्रतिशत कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार का सत्यापन किया जाकर उनको नियमित करना सुनिश्चित करें।


आज्ञा से

  
(यू.एस.चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- अति.मुख्य. मुख्य अभियन्ता (एच.क्यू./एमएम/टर्न-की), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/सिरोही।
- अधीक्षण अभियन्ता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु)।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

  
 अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एंड सी)  
 जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर  
 पेज 02 का 02